तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 75/2015 ओमप्रकाश बनाम दयाराम आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
29.07.2019	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु चक 29 पी.एस. ए तह. रायसिंहनगर मु.नं. 12 प.नं. 222/292 के कि.नं. 22–23–24/1 में से 1–1 बिस्वा रास्ता कि.नं. 17–18–19 के साथ चिपता हुआ रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के नाम की भूमि पुश्तैनी भूमि हैं, जो जरिए विरास्त प्राप्त होने के बाद प्रार्थी स्वयं द्वारा दस्तबरदारी व बंटवारानामा करवाया जाकर अपने नाम करवाई गई है तथा अपने नाम की उक्त किला नं. 24/2 25 में से मुझ अप्रार्थी को कि.नं. 21 ता 24/1 में आने जाने हेतु रास्ता देने से स्पष्ट इंकार कर दिया हैं। प्रथम दृष्टया रास्ता की आत्यांतिक आवश्यक्ता प्रार्थी को ना होकर अप्रार्थी को हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। भू अभिलेख निरीक्षक भोमपुरा से मौका जांच रिपोर्ट ली गयी। मुताबिक भू अभिलेख निरीक्षक भोमपुरा रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम चक 29 पी.एस.ए के मु.नं. 12 प.नं. 222/292 कि.नं. 19/2–20–24/2–25 में कुल .790है. नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज हैं। प्रार्थी कि.नं. 19/2,20 में पंहुच हेतु अप्रार्थी के कि.नं. 22–23–24/1 में से रास्ता चाहता हैं। अप्रार्थी के कि.नं. 22–23–24/1 के रिकार्ड अनुसार कोई रास्ता नहीं लगता हैं। उक्त रकबे तक पंहुच हेतु प्रार्थी ओमप्रकाश के कि.नं. 24/2 में उत्तर की तरफ कि.नं. 25 में उत्तर व पूर्वी तरफ तथा चक लिखमेवाला वारानी के मु.नं. 12 के कि.नं. 21 के कोने से पंहुच मार्ग की आवश्यक्ता होगी। बहस पक्षकारान सुनी गयी। बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। भू. अभिलेख निरीक्षक भोमपुरा की रिपोर्ट एवं नक्शा का अवलोकन किया। अवलोकन में पाया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनो को अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रिकार्ड एवं मौका पर चालू रास्ता उपलब्ध नही है। तथा अप्रार्थी ने भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र में रास्ता की आवश्यक्ता होने का कथन किया हैं। यदि प्रार्थी प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता स्वीकार किया जाता हैं तो अप्रार्थी को हानि होने की सम्भावना हैं क्योंकि अप्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होगा। जिससे विवाद बढ़ने की आशंका रहेगी। भू अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में, प्रार्थी का रास्ता स्वीकार कर पूर्व में राजस्व रिकार्ड में दर्ज गै.मु. रास्ता से जोड़ने के लिए प्रार्थी ओमप्रकाश के कि.नं. 24/2 में उत्तर की तरफ कि.नं. 25 में उत्तर व पूर्वी तरफ तथा चक लिखमेवाला वारानी के मु.नं. 12 के कि.नं. 21 में 16 X 16 फुट कोना से पंहुच मार्ग प्रस्तावित किया हैं। नजरी नक्शा का अवलोकन किया, यदि उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकार किया जाता हैं। तो अप्रार्थी को भी रास्ता की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, चूंकि रास्ते की आत्यांतिक	(संदीप कुमार) उप खण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

आवश्यक्ता अप्रार्थी को भी है। चक लिखमेवाला बारानी के मु.नं. 12 के कि.नं. 21 के खातेदार को सुने बिना रास्ता स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अप्रार्थी को अपनी कृषि भूमि आवागमन हेतु गै.मु. रास्ता स्वीकार कराने के लिए अलग से सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, इस स्थिति में अप्रार्थी को अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। चूंकि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता की आत्यांतिक आवश्यक्ता हैं। ऐसी स्थिति में राज. काश्त. अधि. 1955 की धारा 251क(1) के अनुबंधों के अधीन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी भू अभिलेख निरीक्षक भोमपुरा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी की रास्ता की आत्यांतिक आवश्यक्ता को देखते हुए स्वीकार किया जाकर चक 29 पी.एस.ए तह. रायसिंहनगर मु.नं. 12 प.नं. 222/292 के कि.नं. 22–23–24/1 में से 1–1 बिस्वा रास्ता कि.नं. 17–18–19 के साथ चिपता हुआ स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थी रास्ते में आई भूमि के बदले में अप्रार्थी को अप्रार्थी की भूमि से चिपती रास्ते में आई भूमि के समान उतनी ही भूमि देगा। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर नियमानुसार प्रार्थी के रकबे में उक्त भूमि कम करते हुए अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज करें तथा उक्त स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। आदेश सुनाया गया।

इसी आश्य का आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के नाम जारी हो।

पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner